कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 21-09-2024

विषय:- **पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा सुगम यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत राजपत्रित अधिकारीगण के साथ की गई गोष्ठी, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।**

- **"काशी की यातायात व्यवस्था को नया स्वरूप देना उद्देश्य", आगामी 10 दिनों तक लगातार चलेगा विशेष अभियान - सीपी।**
- **सीपी ने कहा- सुगम यातायात व्यवस्था में रूचि न लेने वाले थानेदार किये जा रहे चिन्हित, होगी कड़ी कार्यवाही।**
- **जिन मार्गो पर निर्माण व मरम्मत कार्य की अनुमति दी जाए, वहाँ पर रूट डायवर्जन व वन-वे आदि व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाए।**
- **बिना पूर्व अनुमति एवं अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था व ठेकेदार पर अभियोग पंजीकृत कर होगी कड़ी कार्यवाही।**
- **ई-रिक्शा की ही भांति ऑटो भी चलेंगे परमिट प्राप्त निर्धारित मार्गों पर, नियमों की अवहेलना पर होगी कार्यवाही।**
- **पीआरवी में नियुक्त पुलिसबल भी अपने प्वाइंटों पर बने रहने के साथ-साथ करे यातायात संचालन में सहयोग।**
- **अधिकारीगण क्षेत्र भ्रमण कर यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए "Innovative Idea" विकसित कर व्यवस्था बनाते हुए लागू करायें।**
- **पुलिसकर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायत पर त्वरित जॉच कर दोषी पाये जाने पर होगी कड़ी कार्यवाही।**

आज दिनांक 21-09-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में सुगम यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत राजपत्रित अधिकारीगण के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गई। उक्त गोष्ठी में संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध डॉ0 के. एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस. चन्नप्पा सहित समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अन्य निर्देशः-

- पुलिस आयुक्त ने कहा कि काशी यातायात व्यवस्था को नया स्वरूप देना उद्देश्य है। सुगम यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत अगले 10 दिनों तक लगातार विशेष अभियान चलाया जायेगा।
- पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि अन्य विभागों के प्रचलित कार्यों की वजह से लगने वाले जाम का बहाना नहीं चलेगा। अन्य विभागों द्वारा प्रचलित बिना पूर्व अनुमति व अनुमति की शर्तों का उल्लंघन कर किये जा रहे कार्यों, जिनसे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- सुगम यातायात के दृष्टिगत जिन मार्गो पर निर्माण/मरम्मत कार्य की अनुमति दी जाए वहाँ पर रूट डायवर्जन, वन-वे आदि व्यवस्थायें लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
- पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कमिश्नरेट में संचालित समस्त पीआरवी पर मौजूद पुलिसबल इवेंट न होने के दौरान अपने प्वाइंटों पर मौजूद रहते हुए यातायात संचालन व्यवस्था में सहयोग करेंगें।
- पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि सभी अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण करें एवं स्थानीय परिस्थितियों का मूल्यांकन कर यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए **"Innovative Idea"** विकसित कर व्यवस्था बनाते हुए लागू करें।
- यातायात व्यवस्था में रूचि न लेने वाले थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी को चिन्हित किया जा रहा है, ऐसे अधिकारीगण के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- सुगम यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत अतिक्रमण के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा कर यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- सुगम यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत काशी जोन में ई-रिक्शा हेतु लागू कलर कोड प्रणाली का सख्ती से पालन कराते हुए ऑटो रिक्शा को भी परमिट प्राप्त निर्धारित मार्गों पर ही चलने देना सुनिश्चित किया जाये ।
- जनता की समस्याओं का त्वरित और उचित समाधान हो एवं पुलिस थानों की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु नागरिकों के फीडबैक को गंभीरता से लें एवं शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाने के निर्देश दिये गये।
- पुलिस आयुक्त महोदय ने कहा कि पुलिसकर्मियों का व्यवहार संवेदनशील, मृदु एवं सहयोगात्मक होना चाहिये। पुलिस का मुख्य उद्देश्य जनता की सुरक्षा एवं सेवा करना है। किसी भी व्यक्ति से दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर त्वरित जॉच कराते हुए दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित पुलिसकर्मी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।